राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग
फर्नीचर स्टोर

क्रमांकः प. 9(22) कार्मिक/ख–3/2017 जयपुर, दिनांकः 13.09.2017

निविदा सूचना

शासन सचिवालय में उपयोग के लिए **राज्य की सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों से** स्टील विर्जीटर्स सोफा सेट क्रय करने हेतु दर संविदा के लिये मोहरबन्द खुली (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदाऐं दिनांक 27.09.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	सामान का विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	1. Steel Visitors Sofa Set (3 Seater) (विवरण परिशिष्ठ–''ई'')	7.00 लाख	3500/–	200.00

निविदा की शर्तें :–

1. बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा शुल्क नकद, वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 3.00 बजे तक जमा करवा कर दिनांक 26.09.2017 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेब साईट www.dop.rajasthan.gov.in या राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से Joint Secretary, DOP-B, Secretariat, Jaipur के नाम से ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा सीलबन्द लिफाफे में, जिसके उपर संबधित निविदा का विवरण अंकित हो, **शासन सचिवालय परिसर स्थित स्वागत कक्ष पर वरिष्ठ शासन उप सचिव (सुरक्षा) के कक्ष के सामने रखे निविदा बॉक्स अथवा पंजीयक कार्यालय शासन सचिवालय के बाहर रखे निविदा बाक्स में** दिनांक 27.09.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक पहुॅच जानी चाहिए। प्राप्त तकनीकी निविदाऐं उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदाताताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंजीयक, शासन सचिवालय के कक्ष में खोली जावेगी।
4. उक्त निविदा में राज्य की सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयॉ जो उद्योग विभाग द्वारा Entrepreneurial Memorandum Part-II/ Memorandum/Registration Certificate/उद्योग आधार के अंतर्गत पंजीकृत है, भाग ले सकेंगी।
5. GST पंजीयन प्रमाण पत्र तथा दिनांक 31.03.2017 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र/सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. सरकार न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।
8. कुटीर तथा लघु उधोग इकाईयों के लिएः–

   (i) निविदा प्रपत्र शुल्क निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत कीमत पर दिया जावेगा।

   (ii) बोली प्रतिभूति राजस्थान के सुक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा की 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औधोगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

   (iii) बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश कमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।
9. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

10. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होगे। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील है। जो उक्त निविदा पर प्रभावशील होगे।

(यू.डी. खान)
संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख)
विभाग

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग
फर्नीचर स्टोर

क्रमांकः प. 9(22) कार्मिक/ख–3/2017 जयपुर, दिनांकः 13.09.2017

निविदा सूचना

शासन सचिवालय में उपयोग के लिए **राज्य की सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों से** स्टील विर्जीटर्स सोफा सेट क्रय करने हेतु दर संविदा के लिये मोहरबन्द खुली (तकनीकी एवं वित्तीय) निविदाऐं दिनांक 27.09.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	सामान का विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	1. Steel Visitors Sofa Set (3 Seater) (विवरण परिशिष्ठ–''ई'')	7.00 लाख	3500/–	200.00

निविदा की शर्ते :–

1. बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा शुल्क नकद, वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 3.00 बजे तक जमा करवा कर दिनांक 26.09.2017 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेब साईट www.dop. rajasthan. gov.in या राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से Joint Secretary, DOP-B, Secretariat, Jaipur के नाम से ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा सीलबन्द लिफाफे में, जिसके उपर संबधित निविदा का विवरण अंकित हो, **शासन सचिवालय परिसर स्थित स्वागत कक्ष पर वरिष्ठ शासन उप सचिव (सुरक्षा) के कक्ष के सामने रखे निविदा बॉक्स अथवा पंजीयक कार्यालय शासन सचिवालय के बाहर रखे निविदा बाक्स में** दिनांक 27.09.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक पहुॅच जानी चाहिए। प्राप्त तकनीकी निविदाऐं उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदाताताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंजीयक, शासन सचिवालय के कक्ष में खोली जावेगी।
4. उक्त निविदा में राज्य की सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयॉ जो उद्योग विभाग द्वारा Entrepreneurial Memorandum Part-II/ Memorandum/Registration Certificate/उद्योग आधार के अंतर्गत पंजीकृत है, भाग ले सकेंगी।
5. GST पंजीयन प्रमाण पत्र तथा दिनांक 31.03.2017 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र/सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. सरकार न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।
8. कुटीर तथा लघु उधोग इकाईयों के लिएः–

   (i) निविदा प्रपत्र शुल्क निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत कीमत पर दिया जावेगा।

   (ii) बोली प्रतिभूति राजस्थान के सुक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा की 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औधोगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

   (iii) बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगी।
9. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
10. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होगें। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील है। जो उक्त निविदा पर प्रभावशील होगें।

(यू.डी. खान)
संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख)
विभाग

तकनीकी निविदा प्रपत्र

अन्तिम तिथी : 27.09.2017 हस्ताक्षर
निविदा प्रपत्र शुल्कः–200/– पंजीयक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3/फर्नीचर स्टोर) विभाग

1. स्टील विर्जीटर्स सोफा सेट (थ्री सीटर) क्रय हेतु दर संविदा किये जाने बाबत खुली निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता व मोबाईल नम्बर...
3. किसको सम्बोधित किया गया– पंजीयक, शासन सचिवालय जयपुर
4. संदर्भ क्रमांक : प0 9(22)कार्मिक/ख–3/2017 दिनांक 13.09.2017
5. निविदा शुल्क– 200/–रूपये नकद रसीद, संख्या एवं दिनांक के द्वारा जमा करवा दी गई हैं ।
6. हम पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्याः प0 9(22)कार्मिक/ख–3/2017 जयपुर, दिनांक 13.09.2017 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)
7. निविदा द्वि–प्रकमी बोली के रूप में आमंत्रित की गयी है। बोलीदाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न कर तकनीकी निविदा लिफाफा में रखी जावें ।
   (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित (2) एनेक्सर–ए हस्ताक्षरित ।
   (3) एनेक्सर–बी हस्ताक्षरित । (4) एनेक्सर–सी हस्ताक्षरित ।
   (5) एनेक्सर–डी हस्ताक्षरित । (6) एनेक्सर–ई हस्ताक्षरित ।
   (7) एनेक्सर–एफ हस्ताक्षरित । (8) एनेक्सर–जी हस्ताक्षरित ।
8. बोली प्रतिभूति राशि रूपये 3500/– का (Joint Secretary, DOP-B, Secretariat, Jaipur के नाम) बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या .... जो .... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या .... दिनांक ....बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
9. उक्त निविदा में राज्य की सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयॉ जो उद्योग विभाग द्वारा Entrepreneurial Memorandum Part-II/ Memorandum,Registration Certificate/उद्योग आधार के अंतर्गत पंजीकृत है, भाग ले सकेंगी।
10. निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। निविदा अवधि को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–29 एवं 73 के अनुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
11. नियमानुसार निविदादाता के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार यदि GST पंजीयन आवश्यक हो, तो निविदा के साथ GST पंजीयन प्रमाण पत्र तथा दिनांक 31.03.2017 तक की अवधि के लिये वैट चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
12. जिन सामान की कीमत पर GST अलग से देय है उसका स्पष्ट उल्लेख दरो में किया जावे । जिस सामान की दरें GST सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरो के साथ किया जावें ।
13. जिन मदो के नमूने अनिवार्य है, उन मदो में प्राप्त नमूने की जांच तकनीकी समिति द्वारा की जावेगी तथा तकनीकी समिति द्वारा अनुपयुक्त नमूनों की दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। नमूना दिनांक 27.09.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है ।
14. (क) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवॅ स्पेसिफिकेशन संलग्न एनेक्सर–ई के अनुसार है ।
    (ख) सप्लाई किये जाने वाले फर्नीचर की दरें अलग से वित्तीय निविदा प्रपत्र **एनेक्सर–एच** में अंकित की जानी आवश्यक है। उक्त वित्तीय निविदा पत्र को पृथक से लिफाफे में बन्द किया जाना आवश्यक है ।
15. क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी। विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश के 50 प्रतिशत सामान की आपूर्ति 15 दिवस में की जानी होगी। माल की सुपुर्दगी समय–समय पर दिये गये आदेशानुसार 30 दिवसों से अनाधिक अवधि में की जावेगी ।
16. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाना आवश्यक हैं। संलग्न– ऐनेक्सर–''एफ''
17. मुख्य लिफाफे में रखे जाने वाले वित्तीय निविदा के लिफाफे में एनेक्सर–''एच'' के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नही किया जावे एवं केवल दरें स्पष्टरूप से अंकित की जावे, कटिंग नही करे एवं करेक्टिंग फ्ल्युड का इस्तेमाल नहीं करें। दरों में किसी प्रकार की कटिंग मान्य नहीं होगी ।
18. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावे। सशर्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
19. एनेक्सर–एच में मूल दर प्रति नग, GST कर प्रति नग एवं कुल राशि प्रति नग को निर्धारित कॉलम में पृथक–पृथक स्पष्टरूप से दर्शाया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

20. **<u>तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते</u> :–**

1. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि ।
2. निविदा प्रपत्र नेट से डाउन लोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू 200/–का बैक ड्राफट ।

<u>तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु आवश्यक शर्ते</u> :–

1. निविदा के साथ GST पंजीयन प्रमाण पत्र तथा दिनांक 31.03.2017 तक वैट चुकता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की स्व–प्रमाणित प्रति ।
3. वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये 10 लाख वार्षिक टर्नओवर संबंधित प्रमाणित प्रमाण ।
4. निविदादाता द्वारा राजकीय विभागों/संस्थाओं या सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को संतोषप्रद रूप से फर्नीचर सप्लाई किये जाने का गत एक वर्ष में 5.00 लाख का प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
5. तकनीकी निविदा प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिये।
6. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग होने की दशा में उद्योग विभाग द्वारा जारी Entrepreneurial Memorandum Part-II/ Memorandum,Registration Certificate/Udyog Aadhar की प्रमाणित प्रति।

21. एनेक्सर–''ई'' में स्टील विर्जीटर्स सोफा सेट (थ्री सीटर) का नमूना चाहा गया है उसके अनुरूप तकनीकी निविदा के साथ नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उन निविदा की दरों पर विचार नहीं किया जावेगा। नमूना उपयुक्त पाये जाने पर ही दरों पर विचार किया जा सकेगा। **नमूना दिनांक 27.09.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है ।**

22 <u>तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये पाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।</u>

23 यदि कय किये जाने वाले सामान पर वांरटी/गारंटी प्रदान की जा रही है, तो निविदा में उसकी अवधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

24 सामान/वस्तु की कय राशि अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान सामग्री की कुल कय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। जो कय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 एवं 73 के अनुसार होगी ।

25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा कियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

26. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा ।

27. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन :– बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से, चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामंस्वरूप, धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

28. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधारः– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थातः–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य मे सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा, और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी ।

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नं. (दुकान) .... (घर) ....

जयपुर, दिनांक **निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील**

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग

The designation and address of the Second Appellate Authority is वित्त विभाग

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc!

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Form B
Format of Affidavit
(See clause 11)

I ....S/o ....Aged .... Yrs. residing at .... Proprietor/Partner/Director of M/s ....do hereby solemnly affirm and declare that :-

(a) My/Our above noted enterprise M/s .... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center .... The acknowledgement No. is .... dated .... and has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place ________________

Signature of
Proprietor/ Director Authorized Signatory
with Rubber Stamp and date

एनेक्सर–ई

क्रय किये जाने वाले फर्नीचर का विवरण

S.N.	SPECIFICATION FOR EXECUTIVE CHAIRS	Qnty.
1.	<u>Steel Visitors Sofa Set (3 Seater)</u> Perforated sheet seat and back shall made of high quality steel makes it strong and durable. Seat & Back made of 1.20 mm thick sheet. Legs and Arm rests are powder coated for long life. Over all dimensions- Seat Size- 500x450mm Back Size- 500x450mm Length of Three Seater- 1750mm Height from ground- 770mm Seat Height from ground- 400mm Weight – 33 Kg. Tolerance in dimension ± 10mm	***70***

नोट– 1. उपरोक्त क्रय हेतु दर्शायी गई अनुमानित मात्रा में कमी या वृद्धि संभव है।

2. कालम संख्या–1 में उल्लेखित स्पेसीफीकेशन के अनुसार नमुना निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त नमूने की जॉच तकनीकी समिति द्वारा की जावेगी तथा **नमूना उपयुक्त पाये जाने पर ही आईटम की दरों पर विचार किया जावेगा। नमूना दिनांक 27.09.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है ।**

3 वित्तीय निविदा में दरे अंकित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि एनेक्सर ''ई'' के कॉलम संख्या 2 में जो स्पेसिफिकेशन अंकित किया है, उसी स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम की दरे वित्तीय निविदा में अंकित की जावे।

4 यदि उक्त स्पेसिफिकेशन पर वांरटी/गांरटी प्रदान की जा रही है, तो वांरटी/गांरटी अवधि का स्पष्ट उल्लेख करें ।

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नं. (दुकान)
(घर)

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

<u>*एनेक्सर–एफ*</u>

<u>*निविदादाताओं द्वारा घोषणा*</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/मैं/हम निर्माता है ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)
(कार्यालय)

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. ***GST पंजीयन एवं वैट चूकती प्रमाण प***त्र– कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, *GST* अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो उसकी निविदा स्वीकार नही की जावेगी। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से 31.03.17 तक का बिकी कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा। (यदि नियमानुसार फर्म के टर्नओवर के आधार पर लागू हो, तो)
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा । पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियॉ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियॉ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लधुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिकी कर एवं केन्द्रीय बिकी करों की राशि को पृथक में दिखाना चाहिए।
6. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ. आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिकी कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़ें (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वालें माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिकी करने के लिए या बिकी हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
7. **राजस्थान की और बाहर की फर्मो की दरों की तुलनाः–** उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में केन्द्रीय विकय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।
8. **मूल्यांकन में कीमत/कय अधिमानः–** बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या कय अधिमान पर विचार किया जायेगा।
9. विधिमान्यता–निविदाये, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। आपवादिक परिस्थितियों में आपसी सहमति से इस अवधि को बढाया जा सकेगा।
10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे केता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
12. **विनिर्देश :–** (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुऍ निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहॉ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फ्री आईटम दिया जारहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

    (ii) तारा चिन्ह से अंकित/कम संख्या .... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों कें साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहॉ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहॉ अत्युत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। केता अधिकारी/केता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऍ विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

    (iii) वारंटी/गारंटी खण्डः–निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/ वस्तुऍ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ....दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवॅ गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी ,तथा इस तथ्य के बावजूद की केता ने उक्त माालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हैं एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि .... दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों /वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो केता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुऍ विकेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जो। यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हों।

(v) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामलें मे निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख–रखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

13. **निरीक्षणः–** (क) केता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. नमूनेः– अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गई निविदत वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएं तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जाएंगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

15. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

16. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ती पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit)कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम नहीं किया जाएगा।

17. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इक्ट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट, हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नही लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहॉं आवश्यक हो या विहित किया गया हों या व्यावहारिक हो, वहॉं परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉं पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

19. नमूने निकालनाः– परीक्षणों के मामलों में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमे से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

20. परीक्षण प्रभार :– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

21. **रद्द करना :–**

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऍं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना **साध्य** (feasible) नहीं समझा जाए, तो केता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

22. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिक पर उसके मद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

23. निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

24. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

25. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

26. (i) सुपुर्दगी अवधि :— निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगाः—

कम सख्या	मद	मात्रा	सूपूर्दगी अवधि	30 दिवस	एवं तत्काल आवश्यकता होने पर कार्यादेश के 15 दिवस के अंतर्गत

(ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

27. **बोली प्रतिभूतिः—** 1. बोली प्रतिभूति दस हजार रूपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप—धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सीमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध मौके पर कय एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्वतियों द्वारा उपापन के मामले में नहीं ली जायेगी।

2. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि—प्रकमी बोली, दर संविदा, इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूती बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा मे यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्र का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

3. बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकमों, निगमों स्वायत निकायों रजिस्ट्रीकृत सोसाटियों सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान के सरकारी उपकम और कम्पनियों से ली जायेगी।

4. बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

5. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंध रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

6. बोली प्रतिभूति नकद बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैं के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति की मूल बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्ररूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

8. यह अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

9. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को स्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या यथास्थिति पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

10. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

11. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात :—

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपन्तरित करता हैः

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के प्श्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंम करने में असफल रहता हैः

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

12. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

13. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी अर्थात

(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर

(ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर

(ग) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय—सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

28. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति.—** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपकमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध मे हों और केन्द्रीय सरकार के उपकमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मो के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लम्बित है के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

(क) "ई. जी. ए. एस. के माध्यम से जमा

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंक चैक

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समयवे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभूति के लिए नियम42 में वर्णित के समान होंगी।

(ड) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करके के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की और से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्ण संदाय करने का वचन देता है कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(4) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ड) के प्ररूप विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

29. **करार का निष्पादन.–** (1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रषित किया जाता है उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मालों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधि लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

30. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का कय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश कमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 एवं 19.11.2015 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देयनहीं होगी।

31. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

32. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

33. (i) समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांस्पोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5% की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर आर केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि केता अधिकारी माल को पैसेंजर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेक्षण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

34. बीमाः–(i)सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हॅानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

35. भुगतान :–

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्दी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में,राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों ।

36. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानीः– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं :–(इस संबध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अकिंत की गई शर्ते ही लागु होगी।)

(1)	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

37. वसूलियॉं :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

38. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

39. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

40. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा

41. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

42. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाघ्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ती करेगा । ये उस अधिकारी इस संविदा से सबद्व नही होगा , तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

43. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

44. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉं आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

एनेक्सर–एच

नोटः– अलग से लिफाफे में जिस पर वित्तीय निविदा अंकित हो प्रस्तुत किया जावे

वित्तीय निविदा (केवल दरे अंकित की जावे)

क्रय किये जाने वाले फर्नीचर का विवरण

क्र. स. (1)	वस्तु का नाम (मय विर्निदेशो) स्पेस्फीकेशन (2)	मूल दर प्रति सैट/नग (3)	GST (4)	कुल मूल्य प्रति सैट/नग (5)
1.	Steel Visitors Sofa Set (3 Seater)			

नोट– 1. मूल दर में वस्तु का मूल्य, सभी Levies, उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्रीकर, चुॅगी, कार्ट्रेज, पैकिंग आदि सभी की कीमत शामिल की जाये। (*GST* को अलग से दर्शाया जावे)

2. व्यवसायी द्वारा राजकीय विभाग को माल सप्लाई करते समय बिल वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग के परिपत्र कमांक प.1(1)वित्त/जीएफएण्डएआर/07 दि. 21–04–2010 एवं राज्य लोक उपापन नियम–2013 व अधिनियम–2012 के अनुसार तैयार कर तीन प्रतियो में प्रस्तुत किया जावेगा ।

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नं. (दुकान)
   (घर)

जयपुर, दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर